कमिश्नर वाणिज्य कर ,उत्तर प्रदेश

उपस्थितः- श्री अनिल संत कमिश्नर वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश ।

प्रार्थी :- **सर्वश्री नानपारा हनी सप्लायर्स, कासगर टोला ,नानपारा,बहराइच।**

प्रा०प०सं०- **358/2008**

प्रार्थी की ओर से- **श्री शराफत हुसैन, फर्म प्रोपराइटर ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008की धारा-59 के अर्न्तगतनिर्णय

I- प्रार्थी के द्वारा दिनांक 29-08-2008 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008 की धारा-59 के अर्न्तगत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें **शहद एवं मधुमक्खी के छत्ते** पर कर की दर की जानकारी चाही गयी है।

2- व्यापारी के प्रार्थना पत्र पर असिस्टेन्ट कमिश्नर ,वाणिज्य कर, नानपारा द्वारा अपने पत्रांक 308 दिनांक 22-09-08 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि दिनांक 01-01-08 से दिनांक 9-04-08 तक शहद एवं मधुमक्खी के छत्ते पर 4 प्रतिशत की दर से करदेयता थी जिसे नोटिफिकेशन संख्या-1021 दिनांक 09-04-08 से उक्त दोनों वस्तुओं को करमुक्त घोषित कर दिया गया है।

3- धारा-59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु श्री शराफत हुसैन, फर्म प्रोपराइटर उपस्थित हुये व उनके द्वारा प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराया गया ।

4- मैनें व्यापारी के धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों, प्राप्त विभागीय आख्या एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तर्को का अवलोकन किया गया और यह पाया गया कि वैट **अधिनियम की अनुसुची -1 के कमांक 36 पर शहद एवं मधुमक्खी के छत्ते की प्रविष्टि होने के कारण 09-04-08 से उक्त दोनों वस्तुयें करमुक्त है । इसके पूर्व शहद एवं मधुमक्खी के छत्ते पर 4 प्रतिशत की दर से करदेयता थी ।**

5- प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

6- इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को तथा एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय।

दिनांक :: 05 दिसम्बर,2008

ह0/5-12-08

(अनिल संत)

कमिश्नर वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

[illegible]

प्रमाणित प्रतिलिपि

वाणिज्य कर [illegible] लखनऊ